



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
राजभाषा विभाग

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
4th FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

डॉ० मीनाक्षी जौली

संयुक्त सचिव

DR. MEENAKSHI JOLLY

JOINT SECRETARY

Telefax : 23438130

E-mail : jsol@nic.in

अर्ध-शासकीय पत्र संख्या 14013/01/2024-राजभाषा(नीति)

दिनांक 21.10.2024

महोदया / महोदय,

मैं आपका ध्यान दिनांक 03.06.2024 के अपने समसंख्यक पत्र की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। साथ ही, राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 21.06.2022 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 14013-04-2022-रा.भा.(नीति) एवं तत्पश्चात मेरे स्तर से दिनांक 05.09.2022, 01.12.2022, 26.05.2023 और 04.12.2023 को भेजे गए अर्ध-शासकीय पत्रों (प्रतिलिपियाँ संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन एवं अर्द्ध-शासकीय पत्रों के माध्यम से सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे हिंदीतर भाषी राज्यों अर्थात् 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में बोर्डों, नामपट्टों आदि पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त संबंधित राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत भाषाओं के प्रयोग से संबंधित त्रि-भाषा के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से राजभाषा विभाग को शीघ्र अवगत कराएं ताकि राज्यसभा सचिवालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

3. आपके मंत्रालय की समेकित अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है। समेकित अनुपालन रिपोर्ट नहीं प्राप्त होने के कारण इस विभाग द्वारा पूरा किया जानेवाला एक महत्वपूर्ण आश्वासन लंबित है।

4. विषयवस्तु की गंभीरता एवं तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि इस संबंध में कृपया व्यक्तिगत रूचि लेते हुए अपने मंत्रालय/विभाग की समेकित अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 25.10.2024 तक राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

सादर,

शुभेच्छु,
मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)

डॉ० मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव
DR. MEENAKSHI JOLLY

JOINT SECRETARY
Telefax : 23438130
E-mail : jsol@nic.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
राजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
4th FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

अ.शा. पत्र संख्या 14013/01/2024-राजभाषा(नीति)

दिनांक 06.06.2024

विषय: हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग।

कृपया राजभाषा विभाग के द्वारा दिनांक 21.06.2022 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 14013-04-2022-रा.भा.(नीति) एवं तत्पश्चात मेरे स्तर से दिनांक 05.09.2022, 01.12.2022, 26.05.2023 और 04.12.2023 को भेजे गए अर्द्ध-शासकीय पत्रों (प्रतिलिपियाँ संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन एवं अर्द्ध-शासकीय पत्रों के माध्यम से सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे हिंदीतर भाषी राज्यों अर्थात् 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में बोर्डों, नामपट्टों आदि पर हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त संबंधित राज्य सरकारों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत भाषाओं के प्रयोग से संबंधित त्रि-भाषा के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से राजभाषा विभाग को शीघ्र अवगत कराएं ताकि राज्यसभा सचिवालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

3. आपके मंत्रालय/विभाग की समेकित अनुपालन रिपोर्ट (Consolidated Compliance Report) राजभाषा विभाग को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। समेकित अनुपालन रिपोर्ट नहीं प्राप्त होने के कारण इस विभाग द्वारा पूरा किया जानेवाला एक महत्वपूर्ण आश्वासन लंबित है।

4. विषयवस्तु की गंभीरता एवं तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में कृपया आप व्यक्तिगत रुचि लेते हुए अपने मंत्रालय/विभाग की समेकित अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 10.06.2024 तक राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

शुभेच्छु
मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)

भारत सरकार के शेष सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव
(प्रशासन/स्थापना/राजभाषा प्रभारी - संलग्न सूची के अनुसार)



डॉ० मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव
DR. MEENAKSHI JOLLY
JOINT SECRETARY
Telefax : 23438130
E-mail : jsol@nic.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
राजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
4th FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001
दिनांक 04.12.2023

अ.शा. पत्र सं. 14013/04/2022-रा.भा.(नीति)

महोदय / महोदय,

कृपया राजभाषा विभाग के समसंख्यक अर्द्ध-शासकीय पत्र दिनांक 26.05 2023, दिनांक 01.12.2022 एवं दिनांक 05.09.2022 और समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21.06.2022 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त पत्रों के माध्यम से हिंदीतर भाषी क्षेत्रों अर्थात 'ख' एवं 'ग' भाषा-क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषा(ओं) के प्रयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से राजभाषा विभाग को यथाशीघ्र अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।

3. आपके ध्यान में पुनः लाना है कि आपके मंत्रालय/विभाग की समेकित अनुपालन रिपोर्ट राजभाषा विभाग को अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गई है।

4. अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उपर्युक्त के संबंध में अपने मंत्रालय/विभाग की समेकित अनुपालन रिपोर्ट राजभाषा विभाग को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

शुभेच्छु

मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन/स्थापना/राजभाषा प्रभारी)
(संलग्न सूची के अनुसार)

डॉ० मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव
DR. MEENAKSHI JOLLY
JOINT SECRETARY
Telefax : 23438130
E-mail : jsol@nic.in



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
राजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-॥ भवन,
4th FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

अ.शा. पत्र सं. 14013/04/2022-रा.भा.(नीति)

दिनांक: 26.05.2023

आदर्शीय महोदय / महोदय,

कृपया राजभाषा विभाग के समसंख्यक अ.शा. पत्रांक दिनांक 01.12.2022 एवं 09.05.2022 और समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21.06.2022 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से हिंदीतर भाषी क्षेत्रों अर्थात 'ख' एवं 'ग' भाषा-क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से राजभाषा विभाग को शीघ्र अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।

2. आपके ध्यान में लाना है कि आपके मंत्रालय/विभाग से समेकित अनुपालन रिपोर्ट राजभाषा विभाग को अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गई है।
3. अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त के संबंध में अपने मंत्रालय/विभाग की अनुपालन रिपोर्ट मंत्रालय/विभाग स्तर पर समेकित करके राजभाषा विभाग को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

शुभेच्छु,
मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन/राजभाषा प्रभारी)
(संलग्न सूची के अनुसार)

डॉ० मीनाक्षी जौली

संयुक्त सचिव

DR. MEENAKSHI JOLLY

JOINT SECRETARY

Telefax : 23438130

E-mail : jsol@nic.in



सत्यमेव जयते

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
राजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
4th FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

आदरणीय महोदय,

दिनांक 01.12.2022

कृपया राजभाषा विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21.06.2022 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें। उक्त कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से हिंदीतर भाषी क्षेत्रों अर्थात् 'ख' एवं 'ग' भाषा-क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से राजभाषा विभाग को शीघ्र अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।

2. आपके ध्यान में लाना है कि आपके मंत्रालय/विभाग से अनुपालन रिपोर्ट राजभाषा विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गयी है। आपके मंत्रालय ने अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराने के स्थान पर अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों को परिपत्र भेजकर इस संबंध में की गई कार्रवाई से सीधे राजभाषा विभाग को अवगत कराने का निर्देश दिया है।

3. इस संबंध में राजभाषा विभाग को सीधे आपके कुछ अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों से पत्र प्राप्त हो रहे हैं। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि राजभाषा विभाग को आपके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट नहीं बल्कि मंत्रालय/विभाग के स्तर यह रिपोर्ट अपेक्षित है कि आपके मंत्रालय/विभाग द्वारा बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं।

4. आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त के संबंध में अपने मंत्रालय की अनुपालन रिपोर्ट राजभाषा विभाग को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

आदर,

शुभेच्छु,

मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)

श्री कमलेश चतुर्वेदी,

संयुक्त सचिव (प्रशासन),

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

कमरा संख्या 323, परिवहन भवन

संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

डॉ० मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव
DR. MEENAKSHI JOLLY
JOINT SECRETARY
Telefax : 23438130
E-mail : jsol@nic.in



सत्यमेव जयते



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
राजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
4th FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

दिनांक 05.09.2022

कृपया राजभाषा विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21.06.2022 का अवलोकन करें (प्रतिलिपि संलग्न)।

2. राजभाषा विभाग द्वारा हिंदीतर भाषी राज्यों अर्थात 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में केंद्र सरकार के कार्यालयों में बोर्डों, नामपट्टों आदि से संबंधित त्रि-भाषा के दिशा-निर्देश पुनः परिचालित किए गए हैं और सभी मंत्रालयों/विभागों से उक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से राजभाषा विभाग को अवगत कराने हेतु भी अनुरोध किया गया था लेकिन वांछित सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

3. इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 05.04.2022 को राज्य सभा में शून्य काल के दौरान माननीय सांसद श्री सुखेन्दु शेखर राय द्वारा उठाए गए मुद्दे और माननीय उप राष्ट्रपति द्वारा दिये गए आश्वासन के आलोक में जारी किया गया था।

4. आपके मंत्रालय/विभाग से उक्त सूचना अभी प्रतीक्षित है। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि व्यक्तिगत रुचि लेते हुए कृपया राजभाषा विभाग को यह सूचना हर हाल में 09.09.2022 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि समयनुसार आश्वासन की पूर्ति की जा सके।

शुभेच्छु

मीनाक्षी जौली

(डॉ० मीनाक्षी जौली)

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन)।

14013/04/2022-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

1/13

चौथा तल, एनडीसीसी-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 01
दिनांक 21.06.2022

कार्यालय ज्ञापन

22 JUN 2022

विषय : हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के बारे में।

राजभाषा विभाग के संज्ञान में यह बात आई है कि हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। इस मामले को माननीय सांसद द्वारा संसद में भी उठाया गया है।

2. इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा उपर्युक्त विषय के संबंध जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14013/5/76-रा.भा.(क-1) दिनांक 18.06.1977 का संदर्भ लें (प्रतिलिपि संलग्न)। इस कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से हिंदीतर भाषी राज्यों अर्थात् 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में केंद्र सरकार के कार्यालयों में बोर्डों, नामपट्टों आदि में क्रमवार क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा निर्देशों को समय-समय पर कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14013/03/2010-रा.भा.(नीति-1) दिनांक 01.07.2010, का. ज्ञा. सं. 14013/07/2010-रा.भा.(नीति) दिनांक 07.04.2011 और का. ज्ञा. सं. 14013/07/2010-रा.भा.(नीति) दिनांक 28.04.2017 के द्वारा परिचालित भी किए गए हैं।

3. अतएव, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन दिशा निर्देशों का हिंदीतर भाषी राज्यों में स्थित अपने सभी कार्यालयों (संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों/ नियंत्रणाधीन/ स्वामित्व वाली कंपनियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि सहित) द्वारा किए जा रहे अनुपालन की स्थिति से राजभाषा विभाग को 09.07.2022 तक अवगत करवा दें।

संलग्नक : यथोक्त

मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 011-23438130

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशा.)